जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़

न्यायालय परिसर, झालावाड़

फोन नं. 07432–294065 ई–मेलः dlsa21jhalawar@gmail.com

क्रमांकः 4266 दिनांक : 9/04/24

–:: निविदा सूचना ::–

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक 435–465 दिनांक 06.04.2024 एवं वित विभाग (जी.एण्ड.टी/एसपीएफसी) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018, 31.03.2021, 05.04.2022 के पूर्ण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नानुसार 2000 कि.मी अधिकतम प्रतिमाह रनिंग के लिए रूपये 32900/– अधिकतम प्रतिमाह के मासिक किराये के आधार (1500 कि.मी तक 27900/–रू प्रतिमाह तत्पश्चात 10/–रू प्रति कि.मी. अधिकतम 2000 कि.मी. तक) पर इस कार्यालय **(सम्पूर्ण जिला क्षेत्राधिकार के लिए दिनांक 28.02.2025 तक की अवधि के लिये वाहन उपलब्ध कराने हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है।**

उक्त वाहन पूर्णतया अनुबंध के आधार पर लिया जाना है। संबंधित व्यक्ति/फर्म/सेवा प्रदाता अपनी सीमित निविदाऐं वांछित दस्तावेज संलग्न प्रारूप में इस कार्यालय के कार्य दिवस में कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। उक्त वाहन के संबंध में अन्य शर्ते इस निविदा के साथ संलग्न है निविदा प्रपत्र एवं शर्ते http://sppp.raj.nic.in portal, e-court jhalawar की website एवं कार्यालय समय में कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते है।

अतः उक्त सीमित निविदा की अंतिम **दिनांक 18.04.2024 को दोपहर 12:30 बजे तक है** वाहन उपलब्ध कराने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म/सेवादाता अंतिम दिनांक तक इस कार्यालय में अपनी निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा उसी दिन दिनांक 18.04.2024 को दोपहर 1:00 बजे खोली जावेगी।

संलग्नः– वाहन उपलब्ध कराने हेतु शर्ते

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
झालावाड़

क्रमांक : 4267-4269 दिनांक :

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ

1. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़/न्यायालय प्रांगण, झालावाड़/जिला कलेक्ट्रेट, झालावाड़/सुचना केन्द्र, झालावाड़
2. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, झालावाड़
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय झालावाड़ को http://sppp.raj.nic.in portal, e-court jhalawar की website पर अपलोड करने हेतु।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
झालावाड़

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com , rj-slsa@nic.in website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक- 435-465 Date - 06.04.24

प्रेषितिः–

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर महानगर–प्रथम, जयपुर महानगर–द्वितीय, जयपुर जिला, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर महानगर, जोधपुर जिला, कोटा, करौली, मेड़ता सिटी, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक व उदयपुर।

विषयः– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मासिक आधार पर किराये के वाहन की व्यवस्था के क्रम में।

प्रसंगः– राजस्थान सरकार, विधि (ग्रुप–2) विभाग, की आज्ञा संख्या प.8(1) विधि–2/विरसं(37)/2022 दिनांक 01.03.2024 एवं 02.04.2024

उपर्युक्त विष्यान्तर्गत राजस्थान सरकार, विधि (ग्रुप–2) विभाग की प्रासंगिक आज्ञा दिनांक 01.03.2024 एवं 02.04.2024 के अनुसरण में वित्त विभाग की आईडी संख्या 332400301 दिनांक 29.03.2022 एवं 332400490 दिनांक 29.03.2024 से सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए मासिक आधार पर किराये के वाहन लिये जाने के संबंध में दी गयी सहमति की समयावधि दिनांक 01.03.2024 से 28.02.2025 तक बढ़ायी जाती है। सुलभ संदर्भ हेतु राजस्थान सरकार विधि विभाग के आदेशों की प्रति संलग्न है।

किराया वाहन वित्त (जी.एण्ड टी./एसपीएफसी) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018, 31.03.2021 एवं 05.04.2022 के पूर्ण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार एवं निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए वाहन किराया पर लिया जाना सुनिश्चित करें एवं इस संबंध में आप द्वारा की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को सूचित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

C:\Users\RSLSA\Desktop\Letter.docx/PC3

राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप-2) विभाग

02 APR 2024

क्रमांक प.8(1)विधि-2/विरसं.(37)/2022 जयपुर, दिनांकः

आज्ञा

समसंख्यक आज्ञा (RajKaj Ref 5833876) दिनांक 01.03.2024 द्वारा 31 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय उपयोग हेतु 5 किराये पर वाहन दिनांक 01.04.2024 से 28.02.2025 तक लिये जाने की सहमति प्रदान की गयी है, के स्थान पर किराये पर वाहन दिनांक 01.03.2024 से 28.02.2025 तक लिये जाने की सहमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेगी।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 332400490 दिनांक 29.03.2024 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(गिरिजेश कुमार ओझा)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि
(वि.र.सं)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
5. सहायक निवासीय लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव, विधि
(वि.र.सं)

Estt
4.4.24

रा. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर
क्रमांक 80
दिनांक 05/04

RajKaj Ref
6443005

Signature valid
Digitally signed by Girijesh Kumar Ojha
Designation : Special Secretary
Date: 2024.04.02 17:36:03 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.8(1)विधि–2/विरसं.(37)/2022 जयपुर, दिनांक: 01 MAR 202

आज्ञा

31 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय उपयोग हेतु कुल 5 किराये पर वाहन लिये जाने की दी गई सहमति की समयावधि दिनांक 01.04.2024 से 28.02.2025 तक बढ़ाये जाने की सहमति दी जाती है।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. संख्या 332400301 दिनांक 22.02.2024 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(गिरिजेश कुमार ओझा)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि
(वि.र.सं)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
5. सहायक निवासीय लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

Estt
5.3.24

विशिष्ट शासन सचिव, विधि
(वि.र.सं)

Dimple ji
7/6/3

RajKaj Ref
5833876

Signature valid
Digitally signed by Girijesh Kumar Ojha
Designation : Special Secretary
Date: 2024.03.01 15:20:02 IST
Reason: Approved